यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** के माह 08/2015 से माह 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.09.2018 से 22.09.2018 तक श्री डी. के. पिपलानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के आंशिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रविन्द्र कुमार , सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो: सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 07.08.2015 से 17.08.2015 तक श्री हनुमान सिंह , लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2013 से माह 07/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 08/2015 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत कारखानों में जिविका निर्वाह् करने वाले कमजोर वर्ग आदि के चिकित्सा के लिए विभिन्न चिकित्सालय के माध्यम से कार्य किया जाता है।

   (इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	3592.00	2859.99	732.01
2016-17	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	3026.95	2721.43	305.52
2017-18	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	7217.26	7167.14	50.12
2018-19 (08/18)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	4887.25	1177.90	3709.35

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

(iii) इकाई को बजट आवंटन **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम , नई दिल्ली** (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा राज्य के माध्यम से किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**स** ....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, **श्रम विभाग** ⟶ निदेशक, **कर्मचारी राज्य बीमा** ⟶ अपर निदेशक, **कर्मचारी राज्य बीमा** ⟶ **मुख्य चिकित्शाधिकारी , कर्मचारी राज्य बीमा**

(iv) **लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में कार्यालय द्वारा गरीब, निर्बल, **परित्यक्ता, निःशक्त, आरक्षित श्रेणी के लोगों को विभिन्न चिकित्सालय के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। निर्माण तथा क्रय से सम्बंधित अभिलेखों आदि का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- Non–receipt of due share of Rs 21.28 crore from ESI Corporation against the incurred expenditure

E.S.I Medical manual के प्रस्तर (1.9) ESI fund के अंतर्गत under the ESI Act, के बिन्दू (C) में यह प्रावधानित किया गया था कि currently every State government's share of expenditure on provision of medical benefit of ESI beneficiaries is fixed at 12.5% and the receiving 87.5% of expenses is borne by the corporation keeping in view of the ceiling of expenses fixed on medical care. Amount spent in excess of the ceiling is however borne by the state government concerned तथा कुल व्यय धनराशि का निगम अंश (87.50%) के सापेक्ष 90% धनराशि का आवंटन कर्मचारी राज्य बीमा योजना को उपलब्ध कराया गया तथा शेष 10% धनराशि का आवंटन लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र (A.G certification) के रिपोर्ट के आधार पर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना देहरादून के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया कि वर्ष 2003–04 से 2017–18 के दौरान वर्ष वार किया गया कुल व्यय धनराशि रु 243.17 करोड़ थी जिसके सापेक्ष ESI Corporation को अपने 87.5 प्रतिशत share के अनुसार रु 212.78 करोड़ ESI Corporation द्वारा देय था । लेखापरीक्षा में पाया गया कि ESI corporation द्वारा अपने share की 90 प्रतिशत धनराशि रू0 191.50 करोड़ का आवंटन प्रदान किया । शेष 10 प्रतिशत धनराशि रू0 21.28 करोड़ का भुगतान वर्ष 2003–04 से 2017–18 तक ESI corporation द्वारा प्रदान नहीं किया गया था। (परिशिष्ठ संलग्न)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि निगम को लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र सहित 28 जुलाई 2016 को प्रेषित किया गया था ताकि अवशेष 10% धनराशि रु. 21.28 करोड़ निगम से अवमुक्त हो सके। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यालय द्वारा 10% अवशेष धनराशि निर्गत करने हेतु 12 वर्षों के बाद A.G certificate सहित विलम्ब से (जुलाई 2016) में निगम को प्रेषित किया गया था जो वर्तमान तक धनराशि अप्राप्त थी जिसके परिणामस्वरुप धनराशि का समायोजन नहीं होने से राज्य सरकार पर अतिरिक्त रु. 21.28 करोड़ धनराशि का बोझ वहन करना पडेगा।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1– चिकित्सालयों के निर्माण पर धनराशि 78.40 करोड़ व्यय किये जाने के उपरान्त 08 वर्षो के बाद भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहना। परिणामस्वरुप उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत बीमांकित लाभार्थियों को समुचित चिकित्सा सुविधा प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से वंचित रहना पड़ा।

कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना देहरादून के लेखा अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि उत्तराखण्ड राज्य में आच्छादित बीमांकित लाभार्थियों को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से निगम को जनपद हरिद्वार, उद्यमसिंहनगर एवं देहरादून हेतु वर्ष 2009–10 में चिकित्सालयों के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करायी गयी थी। लेखा परीक्षा द्वारा आगे पाया गया कि उक्त निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था यूपीसीएल, एनबीसीसी एवं सीपीडब्लयूडी को नामित कर धनराशि आवंटित किया गया था जिसका विवरण निम्नवत् है–

s.no.	Name of project	Estimated amount	Released Amount	Incurred Expenditure amount	Status
1	Esic 100 bedded hospital Rudurpur	97.71cr.	97.71cr.	78.40cr	Work in Progress, not completed
2	Esic 100 bedded hospital Haridwar	95.00cr	25.00cr	-	Construction work not started
3	Esic 100 bedded hospital Dehradun	95.00cr	0.00cr	-	Construction work not started
	Total	**287.71 Cr**	**122.7 Cr**	**78.40cr**	

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि 08 वर्षो के उपरान्त भी निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा जनपद देहरादून एवं हरिद्वार में कार्य प्रारम्भ नही किया गया तथा उद्यमसिंहनगर में निर्माण कार्य मात्र 30 से 40 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया कि उक्त निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु समय-2 पर राज्य सरकार द्वारा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जाता है, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था फिर भी निर्माण कार्य अपूर्ण था परिणामस्वरूप कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित बीमांकित लाभार्थियों को समुचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने के उद्देश्य से ना सिर्फ 08 वर्षो से वंचित रहना पडा बल्कि अस्पतालों के निर्माण पर किये गये 87.40 करोड का व्यय निरर्थक प्रतीत होता है जो विभागीय उदासीनता का घोतक है।

<u>भाग – 2 (ब)</u>

प्रस्तर-2- लाभार्थियों के ईलाज के लिए अग्रिम के रुप में उच्च चिकित्सा संस्थानों को उपलब्ध करवायी गयी रु. 90.68 लाख की धनराशि विगत एक से तीन वर्षों से असमायोजित रहना।

राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित लाभार्थियों जिनकों गंभीर बीमारी/रोग (Chronic Kidney Disease, Peripheral Artery Disease, Hip Replacement, Rheumatic Heart Disease, Coronary Artery disease etc.) हो जाते हैं उनके ईलाज के लिए ऐसे लाभार्थियों को प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के विभिन्न राजकीय अस्तपालों (AIIMS, New Delhi, PGI, Chandigrah, Max Hospital, Dehra dun, SGPGI, Lucknow, AIIMS, Rishikesh) जिनमें ऐसे रोगों के ईलाज की विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध होती है, refer किया जाता है।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कुल 32 लाभार्थियों को गंभीर बिमारी के ईलाज हेतु higher centres में refer किया गया था। इन लाभार्थियों के ईलाज के लिए advance के रुप में रु. 90.68 लाख इन higher centres को RTGS के माध्यम से उपलब्ध करवाये गए। लेखापरीक्षा द्वारा आगे जांच में यह देखा गया कि उपलब्ध करवाये गए रु. 90.68 लाख के सापेक्ष मात्र रु. 75000/- का advance जो 15.11.15 को PGI, Chandigarh को दिया गया था का bill adjustment प्राप्त हुआ जिसमें PGI, Chandigarh द्वारा ईलाज के पश्चात रु. 22,185/- के Cheque द्वारा refund किये गए, वो Cheque भी encash करवाये जाने के स्थान पर आज भी पत्रावली में रक्षित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर निदेशक कार्यालय द्वारा उत्तर मे बताया गया कि संबंधित संस्थानों को अग्रिम RTGS के माध्यम से दिया जाता है। इसी में उन्हें adjustment हेतु अनुरोध किया जाता है, संबंधित चिकित्सा संस्थानों को इस हेतु अनुरोध भी किया जाता रहा है। लेखापरीक्षा कार्यालय को धनराशि adjust करने के पश्चात सूचित किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है, कार्यालय को धनराशि का समायोजन प्रत्येक वर्ष लाभार्थी के ईलाज के पश्चात करना चाहिए था तथा PGI, Chandigarh द्वारा ईलाज के पश्चात refund किये गए रु. 22,185/- के cheque को भी encash करवाना चाहिए था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर सं :3- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर धनराशि 21.75 लाख का औषधि क्रय

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली प्रस्तर 03(10) में यह कहा गया है की निम्नतर दरों का लाभ करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति करने का प्रयास किया जाए . अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नही किया जायेगा और न ही छोटें छोटें भागों में विभक्त किया जायेगा।

कार्यालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान व्यय के चयनित माह मार्च 2016 के वाउचर की जाच में यह देखा गया है की उत्तराखंड procurement rule का अनदेखी कर टुकडों में सामग्री का क्रय किया गया है।

कार्यालय के माह मार्च 2016 के कुछ वाउचरों की सूचि निम्नवत है जो की अधिप्राप्ति नियमों का उल्लंघन दर्शाता है :-

Indent Date	Bill No.	Bill Date	Name of Medicine	Quantity	Amount
09-02-16	00878	12-03-16	Cap. Tripal A Cal OS	5000	400500=00
15-02-16	00882	12-03-16	Cap. Tripal A Cal OS	5000	400500=00
09-02-16	00835	04-03-16	Ebay 10 MG	5000	169000=00
09-02-16	00836	04-03-16	Ebay 10 MG	5000	169000=00
14-10-15	00229	07-10-15	Hepcivir(Sofusubavir-400)	02	37700=00
14-10-15	00230	08-10-15	Hepcivir(Sofusubavir-400)	01	18850=00
14-10-15	00247	14-10-15	Hepcivir(Sofusubavir-400)	02	37700=00
21-10-15	00270	21-10-15	Inj. Pegvir 100 MCG Inj. Pegvir 50 MCG	02 02	28560=00 14280=00
21-10-15	00271	21-10-15	Inj. Pegvir 100 MCG Inj. Pegvir 50 MCG	02 02	28560=00 14280=00
03-11-15	0237	03-11-15	Tab. Sunitiniv Maleate 50 MG	28	231812=00
07-11-15	0238	07-11-15	Tab. Sunitiniv Maleate 50 MG	28	231812=00
23-11-15	0273	28-11-15	Tab. Sofosbuvir 400 MG	56	37810=00
21-11-15	0274	28-11-15	Tab. Sofosbuvir 400 MG	56	37810=00
20-11-15	0275	28-11-15	Tab. Sofosbuvir 400	56	37810=00
28-11-15	0276	29-11-15	Tab. Sofosbuvir 400 MG	28	19950=00

27-11-15	0277	29-11-15	Tab. Sofosbuvir 400 MG	28	19950=00
27-11-15	0278	29-11-15	Tab. Sofosbuvir 400 MG	28	19950=00
26-11-15	0279	29-11-15	Tab. Sofosbuvir 400 MG	28	19950=00
01-12-15	0491	09-02-16	Tab. Sofosbuvir 400 MG	56	39900=00
01-12-15	0495	10-02-16	Tab. Sofosbuvir 400 MG	56	39900=00
01-12-15	0512	11-02-16	Tab. Sofosbuvir 400 MG	56	39900=00
01-12-15	0515	13-02-16	Tab. Sofosbuvir 400 MG	56	39900=00
01-12-15	0522	15-02-16	Tab. Sofosbuvir 400 MG	28	19950=00
01-12-15	0523	16-02-16	Tab. Sofosbuvir 400 MG	28	19950=00
					2175284=00

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर इकाई द्वारा यह बताया गया की अति आबश्यक औषधि होने के कारण एवं औषधालय में रोगियो को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु इस प्रकार क्रय किया गया तथा भविष्य में अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन किया जायेगा।

अतः इकाई द्वारा अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लंघन कर वर्ष 2015-16 में धनराशि 21.75 लाख की औषधि क्रय करने का प्रकरण **उच्चधिकारियों** के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर4- आयक अधिनियम के अनुच्छेद 194-C में प्रावधानित 2 प्रतिशत टीडीएस की धनराशि देयकों से कटौती न करने से रु. 13,917/- की राजस्व क्षति।

As per provision of Section 194-c of Income Tax Act, 1961, two percent tax shall be deducted at source on the sum paid or credited for carrying out work, when the bill amount exceeds Rs. 30,000/- or when it exceeds Rs. 75,000 in a financial year.

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच हेतु चयनित माह मार्च 2016 के वाउचरों की जांच में पाया गया कि 26 देयकों जिनकी भुगतानित धनराशि रु. 6,95,834 थी में से 2 प्रतिशत आयकर की धनराशि रु. 13,917/- की कटौती नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर में कहा गया कि संबंधित फर्मों के देय आगामी बिलों से कटौती कर समायोजन कराया जाएगा।

कार्यालय द्वारा स्वयं ऑडिट आपत्ति कि पुष्टि की गयी है, अतः प्रस्तर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग–3</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
46	**2013-14**	शुन्य	**01,02**	शुन्य
	2015-16	शुन्य	**01 से 04**	शुन्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अवगत कराया कि संदर्भित प्रस्तर की अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया एवं वर्तमान स्थिति को लेते हुए तैयार कर उचित माध्यम से प्रधान महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **श्रुति एवं संदीप फर्मास्यूटिकल्स के साथ लेखापरीक्षित कार्यालय के अनुबंध**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री सूर्य मोहन नौटियाल	निदेशक
2	श्रीमती सोनिका	निदेशक
3	श्री पंकज कुमार पाण्डेय	निदेशक
4	श्री अशोक कुमार	निदेशक
5	डा : नरेश कुमार	मुख्य चिकित्साधिकारी
6	डा : आनंद श्रीवास्तव	निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय **प्रधान** महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ट लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र